न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)

वाद सं0 एम0 144/2021

प्रथम पक्ष– झारखण्ड सरकार ।

धारा 107 द0 प्र0 सं0

बनाम

द्वितीय पक्ष–हरखू साहु .... वगैरह ।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी एवं तिथि
1	2	3
1 26/8/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 03/2022 **दिनांक** 22/02/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) **झारखण्ड** सरकार की ओर से थाना प्रभारी बसिया जिला–गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) हरखू साहु उम्र 45 वर्ष पिता स्व0 सैधु साहु (2) बालकिशुन साहु उम्र 22 वर्ष पिता हरखू साहु (3) प्रदीप साहु उम्र 18 वर्ष पिता हरखू साहु सभी ग्राम ममरला पाकर टोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर आपसी विवाद होने एवं अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उभय पक्ष उपस्थित। उक्त वाद की कारर्दवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार की शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट से अप्राप्त है। वाद पर कार्रवाई की समयअवधि समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित। [Stamp: अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)] अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) Digitally signed by SANJAY P.M. KUJUR Date: 2022.09.09 11:55:49 +05:30 Location: 192.168.235.239	